भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1391
दिनांक 13 फरवरी, 2025

पाइपलाइनों में जंग के कारण रिसाव और टूटन

†1391. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पाइपलाइनों में जंग के कारण हुए रिसाव या टूटन की संख्या के आंकड़े क्या हैं तथा इसे दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) जिन टैंक ट्रक चालक-दल के कार्मिकों को रक्षात्मक ड्राइविंग और सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उद्योग में किए गए सुरक्षा ऑडिटों की संख्या कितनी है और निर्धारित सुरक्षा मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा विशेष कर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलियम परिवहन और भंडारण में अवसरों और सुरक्षा उपायों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष में अब तक लीकेज या जंग द्वारा टूट के कारण कुल पाँच दुर्घटनाएँ हुईं।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने पाइपलाइन सुरक्षा नामतः ओआईएसडी-एसटीडी-141 (तरल पाइपलाइनों के लिए), ओआईएसडी-एसटीडी-214 (एलपीजी पाइपलाइनों के लिए) और ओआईएसडी-एसटीडी-226 (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए) के लिए मानदण्ड अधिसूचित किए हैं।

सुसंगत मानदण्डों के अनुसार इंटीलिजेंट पिगिंग और मैग्नेटिक टोमोग्राफी मैथड (एमटीएम) जैसे उन्नत डाइग्नोस्टिक टूलों का उपयोग पाइपलाइनों की आन्तरिक कमियों या जंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल कोटिंग सिस्टम, जंग अवरोधकों की डोजिंग और बायोसाइडों के इंजेक्शन जैसे जंग संरक्षण और शमन उपायों का, जब कभी भी आवश्यक हो, में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसके अलावा, तेल और गैस कम्पनियाँ लीकेज और टूट से अण्डरग्राउंड पाइपलाइनों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न उपायों का क्रियान्वयन कर रहीं हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रीयल टाइम मॉनटिरिंग के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वीजिशन (एससीएडीए) सिस्टम, नियमित सुरक्षा पेट्रोलिंग, लीक डिटेक्शन

सिस्टम (एलडीएस), पाइपलाइन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम (पीआईडीएस), निगेटिव प्रैशर वेव लीक डिटेक्शन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)-आधारित पाइपलाइन मैपिंग, आदि शामिल हैं।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियाँ (ओएमसीज) ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 3.5 लाख मैंबरों को आच्छादित करते हुए डिफेंसिव ड्राइविंग और सिम्युलेटर-आधारित प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया है।

(ग): तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 51,600 किलोमीटर के क्रास-कंट्री पाइपलाइनों को आच्छादित करते हुए तेल और गैस इंस्टालेशनों का 1,316 बाहरी सेफ्टी ऑडिटों का संचालन किया है।

(घ): तेल पीएसयूज ने गुजरात सहित पेट्रोलियम परिवहन और भंडारण में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अवसरों और सुरक्षा उपायों के लिए जनसामान्य के बीच जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलों को आरम्भ किया है। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल है-

i. संभावित खतरों, सम्बद्ध जोखिमों और आवश्यक सुरक्षा उपायों को रेखांकित करने के लिए तेल और गैस इंस्टालेशनों के आस-पास गाँव जागरुकता कार्यक्रम।

ii. आपातकालीन परिदृश्यों, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य सुरक्षा अभ्यासों पर जागरुकता अभियान।

iii. टैंक ट्रकों पर खतरनाक रसायन (हैजकैम) चिह्न का प्रदर्शन।

iv. व्हीकल ट्रैकिंग का क्रियान्वयन।

v. टैंक ट्रक (टीटी) को डिफेंसिव ड्राइविंग और सिम्युलेटर-आधारित प्रशिक्षण।

vi. सुरक्षा उपाय जैसे लिमिटिंग डिवाइस, टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम (टीएएस), उन्नत अग्निशमन प्रणाली और रिमोट ऑपरेटेड शट-ऑफ वाल्वज (आरओएसओवी)।

vii. खुदरा विक्रय केन्द्रों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा जिसमें बिलबोर्ड द्वारा जागरुकता अभियान शामिल है।

viii. विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी/रेडियो जिंगलों, शार्ट क्लिपों, एलपीजी पंचायत, जागरुकता अभियानों आदि द्वारा एलपीजी सिलेण्डरों सुरक्षित हैंडलिंग को बढ़ावा देना।

आपातकालीन परिस्थितियों में तैयारी सुनिश्चित करने और दुर्घटनों के दौरान समन्वय को बढ़ाने के लिए तेल और गैस कम्पनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला प्रशासन द्वारा ऑफसाइट मॉक ड्रिलों का भी संचालन किया जा रहा है।

****